संख्या- 14 /370 /अड़तीस-9-14-05(आ0समिति)/2008

प्रेषक

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 08 मई , 2014**

विषय-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-91-वि0नि0/38-3-2002-500(1)/98टी0सी0, दिनांक-10.04.2002 के द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को प्रख्यापित किया गया है। यद्यपि कि उपरोक्त सिद्धान्तों के प्रस्तर-5.1 में योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के अनुश्रवण की व्यवस्था पूर्व से ही विनिर्दिष्ट है, तथापि उ0प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन समिति की बैठक दिनांक-11.03.2014 में, सामान्य चर्चा के दौरान किसी प्रकरण में समिति द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि विधायक निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाना चाहिए।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक-10.04.2002 के माध्यम से प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-5.1 का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही योजना में स्वीकृत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए तथा निर्मित कार्यों का स्थलीय सत्यापन, निरीक्षण के माध्यम से अवश्य किया जाय। निरीक्षण के फलस्वरूप यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो उसे शासन के संज्ञान में अवश्य लाया जाए।

भवदीय

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव ।

संख्या- 14 / 370 (1) /अड़तीस-9-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि:-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in